निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 665) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

1 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–12/2009/798––श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉ तटबंध के चेन संख्या 688.00 पर अवस्थित स्पर एवं चेन संख्या 688 के डाउन स्ट्रीम में तटबंध के समुचित सुरक्षा हेतु विभागीय निदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने, स्थल पर सामग्रियों एवं श्रमिकों की समुचित व्यवस्था नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने इत्यादि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 3294, दिनांक 26.08.09 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या 432 दिनांक 10.03.10 द्वारा श्री किशोर, निलंबित सहायक अभियंता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्री किशोर के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये–

(क) समय–समय पर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक दल, कटिहार एवं विभागीय निदेशों के बावजूद आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

(ख) स्थल पर अपेक्षित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों, श्रमिक एवं यंत्र–संयंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आप विफल रहे जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

2. विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि ससमय कार्य नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण

में ढिलाई बरती गयी और अंतिम समय तक इंतजार किया गया कि और अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने का मौका सभी को मिले। सहायक अभियंता की सीधी जवाबदेही थी, जो उन्होंने नहीं निर्वाह किया उनका Criminal Neglect स्पष्ट हो रहा है कि ससमय 15 जून से ही कार्य नहीं कराकर Last Minute तक Wait किया, फिर जो काम कराया वह बर्बाद ही हो गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता (निलंबित) को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 1427 दिनांक 24.12.12 निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं, किन्तु पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि को कार्य के रूप में माना जायेगा।

उक्त दंडादेश के क्रम में श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्य अंकित किये गये हैं–

मेरे द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित बयान दिनांक 19.04.10 में स्पष्ट किया गया है कि जब–जब पानी के प्रहार से स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ, अध्यक्ष, बाढ सुरक्षात्मक बल एवं अन्य क्षेत्रीय वरीय पदाधिकारी से मिले दिशा–निदेश का स्थल पर कैम्प कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया एवं कराये गये कार्य की सहमति भी उनके द्वारा दी गयी। स्थल पर कराये जा रहे कार्यों में शिथिलता, लापरवाही एवं ढिलाई बरतने के लिए किसी भी वरीय पदाधिकारी द्वारा चेतावनी या नकारात्मक टिप्पणी नहीं किया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा भी अपने निरीक्षण प्रतिवेद में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

दिनांक 15.06.09 से ही बाढ़ संघर्षात्मक कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। इसके बारे में श्री किशोर का कहना है कि अध्यक्ष, अनुवीक्षण दल मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 07.06.09 को निरीक्षण में भोलामारी में क्षतिग्रस्त स्पर ''ए'' का कटाव निरोधक कार्य संतोषप्रद पाया गया एवं 15.06.09 से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य शुरू करने का कोई निदेश नहीं दिया गया। झौआ गेज स्थल जो कार्य स्थल के अपस्ट्रीम में है का जलस्तर दिनांक 22.06.09 को 27.16 फीट है जो खतरा के निशान से 31.54 फीट से करीब 4 फीट नीचे है एवं स्थल की स्थिति सामान्य है। ऐसी सामान्य स्थिति में बिना विभागीय/वरीय पदाधिकारी के निदेश के बाढ़ संघर्षात्मक कार्य नहीं कराया जा सकता है जबकि बाढ़, 2009 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य की अनुशंसा तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की गयी लेकिन योजना समीक्षा समिति ने केवल स्पर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मति की स्वीकृति दी। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की जब जरूरत पड़ी अध्यक्ष बाढ़ सुरक्षात्मक बल एवं वरीय पदाधिकारियों से आदेश लेकर कार्य कराया गया। कराये गये कार्य की जॉच अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता द्वारा भी किया गया एवं किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गयी। अतः दिनांक 09.07.09 के पूर्व दिनांक 15.06.09 से ही बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने का न कोई औचित्य था और न वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी का निदेश।

अधिक से अधिक Flood Fighting काम करने के लालच में मेरे द्वारा अधिक समय तक इंतजार नहीं किया गया बल्कि स्थल की संवेदनशीलता से वरीय पदाधिकारी को फोन से अवगत कराते रहा एवं उनसे मिले निदेश का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करता रहा। अतः लगाया गया आरोप सरासर निराशाजनक, दुःखद, गलत एवं निराधार है।

जहॉ तक ससमय कार्य नहीं कराना और तटबंध टूटने में संबंध स्थापित करने की बात है, इस संबंध में स्पष्ट कहना है कि प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्य की स्वीकृति योजना समीक्षा समिति द्वारा दी जाती तो तटबंध टूटने की नौबत शायद नहीं आती। यह कहना गलत नहीं होगा कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य से प्राकृतिक आपदा से स्थल सुरक्षित

नहीं रखा जा सकता है। आक्राम्य स्थलों को कटाव निरोधक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने तथा बाढ़ अवधि में आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर आपदा स्थिति से निपटने का विभागीय प्रावधान है।

श्री किशोर से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री किशोर का कहना है कि दिनांक 09.07.09 के पूर्व नदी का जलस्तर खतरा के निशान 31.54 फीट से कम रहने के कारण बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराने का कोई औचित्य नहीं था और इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी से निदेश भी प्राप्त नहीं था। साक्ष्य स्वरूप अहस्ताक्षरित गेज पंजी की छायाप्रति संलग्न की गयी है। गेज पंजी से नदी का जलस्तर बढ़ने की प्रवृति एवं दिनांक 03.07.09 को खतरा के निशान से एक फीट नीचे होने का बोध होता है। श्री किशोर का यह भी कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ पदाधिकारियों से प्राप्त निदेश के आलोक में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया, आलोच्य स्थल आक्राम्य एवं अति संवेदनशील था। वर्ष 2006 से ही तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराने की अनुशंसा की जाती रही है एवं वर्ष 2008 में भी संपोषण मद से कार्य कराकर नदी तटबंध को सुरक्षित रखा गया था। उक्त से स्पष्ट है कि श्री किशोर द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराने की आवश्यकता महसूस की गयी। श्री किशोर की सहायक अभियंता के नाते सीधे जवाबदेही बनती है जिसका ससमय निर्वहन का बोध नहीं होता है। मात्र उच्चाधिकारियों से मिले निदेश का अनुपालन करने का उल्लेख है। तटबंध/स्पर का टूटना स्वतः प्रमाणित करता है कि ससमय कार्य नहीं कराया गया। परिणामतः तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। पूर्व की समीक्षा में तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा अंकित किया गया है कि सहायक अभियंता की सीधे जवाबदेही थी जो उन्होंने नहीं निर्वाह किया एवं अंतिम समय तक इंतजार किया गया फिर जो काम कराया गया वह बर्बाद भी हो गया। उक्त के आलोक में श्री किशोर से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए पूर्व में संसूचित दंड –

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं

2. निलंबन अवधि में जीवनयापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं, किन्तु पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि को कार्य के रूप में माना जायेगा, को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित उक्त दंड को यथावत रखने का आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 665-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in